



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

## आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-168

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 261256 दिनांक 12/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	---------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	Deepak Garg S/o Harimohan Gupta	श्रीमती पदमा गौतम पत्नी स्व. श्री ठाकुर दास	280	45.00 SQ. METER	JDA	RAM NAGARIYA VISTAR Sector/Block- B	Name Transfer	जविप्रा योजना रामनगरिया विस्तार के भूखण्ड संख्या बी-280 क्षेत्रफल 45.00 व.मी. की लीज डीड श्रीमती पदमा गौतम पत्नी स्व. श्री ठाकुर दास के पक्ष में दिनांक 14.12.2004 को जारी की गई है। श्रीमती पदमा गौतम द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण माथुर पुत्र स्व. श्री पी.एम.माथुर के पक्ष में रजिस्टर्ड मुख्त्यारनामा आम दिनांक 21.01.2011 को निष्पादित किया गया है। श्री लक्ष्मीनारायण माथुर द्वारा श्री सत्यदेव शर्मा पुत्र श्री श्याम लाल भुवालिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2011 के द्वारा बेचान किया गया है। श्री सत्यदेव शर्मा पुत्र श्री श्याम लाल भुवालिया द्वारा श्री दीपक गर्ग पुत्र श्री हरिमोहन गुप्ता को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.09.2024 के द्वारा बेचान किया गया है।
---	--	--	-----	--------------------	-----	---	------------------	--



## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर [jda.rajasthan.gov.in](http://jda.rajasthan.gov.in) पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Deepak Garg S/o Harimohan Gupta को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |